



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



18 माघ, 1945 (श०)

संख्या - 75 राँची, बुधवार,

7 फरवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

29 नवम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-93/2018 का.-25149(HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री जीतेन्द्र कुमार देव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-808/03), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के विरुद्ध गठित दो अलग- अलग आरोप-पत्रों में प्रतिवेदित निम्नांकित आरोपों को प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है:-

(i) उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-599/गो०, दिनांक-25.06.2018 एवं आयुक्त के सचिव, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के पत्रांक-165/स्था०, दिनांक-21.08.2018 द्वारा गठित आरोप-पत्र में सरकारी राजस्व हितों के प्रतिकूल व्यक्ति विशेष को नाजायज लाभ पहुँचाने की मंशा से सैरातों की बन्दोबस्ती करने, सैरातों की अवधि विस्तार करने, वरीय पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करने, दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, न्यायालय कार्य की उपेक्षा करना तथा उपायुक्त के बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर चले जाने एवं विधि व्यवस्था जैसे संवेदनशील मामलों में पूर्ण रूप से शिथिलता बरतने सम्बन्धी कुल-09 आरोप प्रतिवेदित है ।

(ii) उपायुक्त, पाकुड़ के ज्ञापांक-1027/गो०, दिनांक-17.10.2018 एवं आयुक्त के सचिव, संचालन परगना प्रमण्डल, दुमका के पत्रांक-36/स्था०, दिनांक-07.02.2020 द्वारा गठित आरोप-पत्र में सरकारी प्रावधानों का उल्लंघन कर सरकारी राजस्व हितों के प्रतिकूल किसी व्यक्ति विशेष को नाजायज लाभ पहुँचाने की मंशा से सैरातों की बन्दोबस्ती करने, मानको का उल्लंघन करते हुए बिना निविदा के कार्य का आवंटन, नोमिनेशन के आधार पर किसी चहेते संवेदक को नाजायज लाभ पहुँचाने के मंशा से न केवल आवंटित करना बल्कि नियम विरुद्ध भुगतान करने, झारखण्ड विज्ञापन नियमावली, 2015 की कंडिका-07 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन कर सैरातों की बन्दोबस्ती एवं अन्य सूचना का प्रकाशन में अनियमितता बरतने, वरीय पदाधिकारियों के निदेशों की अवहेलना करने, सरकार की महत्वाकांक्षी शहरी जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने, नगर परिषद क्षेत्र में अवैध उगाही को बढ़ावा देने इत्यादि से संबंधी आरोप प्रतिवेदित है।

2. श्री देव के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्रों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है। तदनुसार आरोप पत्रों में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. श्री देव को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री देव द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री रमाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री देव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही संचालित करने के प्रस्ताव पर सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री जीतेन्द्र कुमार देव, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-808/03) एवं श्री रमाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	JITENDRA KUMAR DEO BHR/BAS/3763	श्री जीतेन्द्र कुमार देव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-808/03), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
